

मध्याह्न भोजन

एक प्रवेशिका

नवम्बर 2007

मध्याह्न भोजन

एक प्रवेशिका

नवम्बर 2007

हरेक बच्चा जो प्राथमिक शाला में पढ़ने जाता है उसे पका हुआ, पौष्टिक, मध्याह्न भोजन पाने का हक है। भोजन और शिक्षा के अधिकार की ओर यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इस किताब में हरेक भारतीय बच्चे के बुनियादी हकों की जानकारी शामिल है जिसकी सूचना हर सरोकार रखने वाले नागरिक के पास होनी चाहिए।

प्रकाशक : रोजी-रोटी अधिकार अभियान, सचिवालय,
दिल्ली

चतुर्थ संस्करण : नवम्बर 2007

प्रतियां : 5000 (पाँच हजार)

सहयोग राशि : 15 (पंद्रह रुपये मात्र)

सम्पादन : (हिन्दी संस्करण)

अजय कुमार सिंह

गुरमिन्दर सिंह

रोजी-रोटी अधिकार अभियान, सचिवालय, दिल्ली की ओर से निजी दायरे में वितरण के लिए प्रकाशित

प्रस्तावना

यह प्रवेशिका उन सभी व्यक्तियों को संबोधित करती है जो प्राथमिक स्कूलों में पौष्टिक मध्याह्न भोजन अभियान से जुड़ने में रुचि रखते हैं। इस विषय में दूर-दराज में बसे गांवों से लेकर देश की राजधानी के स्तर तक विभिन्न लोगों द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है। पर सबसे पहला कदम होगा मुहों को साफ-साफ समझना : दोपहर का खाना क्यों महत्वपूर्ण है, देश की सबसे बड़ी अदालत (सर्वोच्च न्यायालय) का आदेश क्या कहता है, दोपहर के भोजन की गुणवत्ता कैसे सुधारी जा सकती है, और ऐसे ही तमाम दूसरे मुद्दे। यह प्रवेशिका इन सभी बुनियाद और अन्य सवालों के जवाब देता है।

यह प्रवेशिका साझी कोशिश से बनी है। इसका आखिरी प्रारूप वंदना भाटिया, ज्यां द्रेज़ तथा वंदना प्रसाद द्वारा तैयार किया गया है, पर कई दूसरे लोगों ने भी इसमें अपना योगदान दिया है। समर गर्ग, शांति घोष, तारा गोपालदास, ए.के. शिव कुमार, अनुराधा राजवन, दीपा सिन्हा, रीतिका खेरा, हर्ष मंदर, नंदिनी नायक, क्लैयर नोरोन्हा, शोनाली सेन, देविका सिंह, शांथा सिन्हा, विवेक एस. तथा सी.पी. सुजया उपयोगी सुझावों के लिए विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। इस किताब को बेहतर बनाने के लिए आपके सुझावों का स्वागत करेंगे – आप हमें righttofood@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं, या फिर परिशिष्ट में रोजी-रोटी अधिकार अभियान का जो पता दिया गया है, उस पर पत्र भी लिख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमसे संपर्क अवश्य साधेंगे।

परिचय

भारत के बच्चों की हालत का सबसे सटीक वर्णन यही होगा कि वे एक ऐसी स्थिति में जी रहे हैं जिसे स्थाई “मानवीय आपातकाल” कहा जा सकता है। 1998-99 के राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार देश के लगभग आधे बच्चे कुपोषित हैं। भूख और कुपोषण बच्चों के स्वास्थ्य को बर्बाद करता है, उनकी सीखने की क्षमता पर असर डालता है और उनकी जिन्दगी को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। ऐसे देश कम ही हैं जहाँ इतनी संख्या में बच्चे कुपोषित हों।

शिक्षा के आँकड़े भी कम चौंकाने वाले नहीं हैं। भारत के कम से कम 20 प्रतिशत (6-14 वर्ष समूह के) बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। यह भी उनके भविष्य को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। बाल श्रमिक इसके मुख्य शिकार हैं।

यह स्थिति बच्चों के बुनियादी अधिकारों का सरासर उल्लंघन है। हमारे संविधान का 21वाँ अनुच्छेद कहता है कि सभी भारतीय बच्चों को जीवन का बुनियादी अधिकार है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कई बार यह साफ किया है कि जीवन के अधिकार का मतलब है सम्मान से जीवन जीने का अधिकार, जिसमें भोजन और दूसरी संबंधित ज़रूरतें शामिल हैं। संविधान के अनुच्छेद 21(अ) के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी भारतीय बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का हक है। ये अधिकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन ‘कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड’ में भी रेखांकित किए गए हैं, जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं।

बच्चों की बेहतरी, उनके कल्याण की जिम्मेदारी केवल उनके माता-पिता की नहीं बल्कि हम सबकी है। सच्चाई तो यह है कि माता-पिता हमेशा अपने बच्चों के हित की रक्षा नहीं कर पाते हैं खासतौर से तब, जब वे स्वयं ही गरीबी, बीमारी व सामाजिक भेदभाव के बोझ के तले दबे होते हैं। इसलिए बाल-अधिकारों की सुरक्षा दरअसल सार्वभौमिक शिक्षा जैसी सामाजिक व्यवस्थाओं पर निर्भर करती है।

बालकों के अधिकारों की रक्षा हेतु की गई ही व्यवस्था का दूसरा उदाहरण है प्राथमिक स्कूलों में पका हुआ पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाना। दोपहर के भोजन के मुख्य उद्देश्य हैं भोजन का अधिकार और शिक्षा के अधिकार को प्रोत्साहन देना। परन्तु वे साथ ही कुछ अन्य उद्देश्यों को हासिल करने में भी मददगार होते हैं। (नीचे देखें) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल में जारी किए गए आदेशों के अनुसार हरेक बच्चा जो सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक शाला में पढ़ने जाता है, उसे पके हुए पौष्टिक मध्याह्न भोजन का हक है। परन्तु जमीनी सच्चाई यह है यह हक एक वास्तविकता नहीं बन सका है : न तो यह सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध है, बल्कि ज्यादातर राज्यों में इसकी गुणवत्ता भी बहुत कम है।

यहाँ भी जनता को सक्रिय हो कार्रवाई करनी होगी ताकि सरकार अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों को निभाए। आगे दिए गए सवाल-जवाब यह साफ कर सकेंगे कि हरेक भारतीय बच्चे को निःशुल्क, स्वादिष्ट और पौष्टिक मध्याह्न भोजन मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है।

भाग-1

मध्याह्न भोजन और बाल अधिकार

प्रश्न 1. “भोजन का अधिकार” का असल में क्या अर्थ है?

इसका अर्थ है कि हरेक नागरिक को भूख और कुपोषण से बचने का अधिकार है। यह अधिकार राज्य पर जिम्मेदारी डालता है कि प्रत्येक व्यक्ति सुपोषित हो, भोजन का अधिकार लागू करने के कई तरीके हैं : जिनमें भू-सुधार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, रोजगार गारंटी कानून और बच्चों के लिए पोषण योजनाएं आदि शामिल हैं। ये सारे उपाय एक-दूसरे के पूरक हैं। केवल किसी एक तरीके मात्र को अपनाने से भोजन का अधिकार सुनिश्चित नहीं किया जा सकेगा।

प्रश्न 2. शिक्षा का अधिकार क्या है?

6 से 14 वर्ष के हरेक भारतीय बच्चे को “निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा” का हक है। संविधान 21(अ) के तहत इसे भी एक “बुनियादी अधिकार” बना दिया गया है। अतः राज्य को यह सुनिश्चित करने में सहायक बनाना होगा कि सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिले और 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चे, प्रतिदिन व नियमित रूप से स्कूल जाएं।

प्रश्न 3. भोजन का अधिकार और शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने में मध्याह्न भोजन क्या योगदान दे सकता है?

सेहतमंद मध्याह्न भोजन बच्चों की भूख से रक्षा करता है और उन्हें

पूरक पोषण उपलब्ध करवाता है। केवल मध्याह्न भोजन की व्यवस्था से भोजन का अधिकार सुनिश्चित नहीं हो सकेगा, फिर भी यह उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी तरह पका हुआ मध्याह्न भोजन भी शिक्षा का अधिकार लागू करने की दिशा में मददगार होगा, क्योंकि इससे स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति नियमित होगी और उनकी सीखने की क्षमता भी बढ़ेगी।

इसके अलावा मध्याह्न भोजन कई दूसरे महत्वपूर्ण उद्देश्य करने में भी मददगार सिद्ध हो सकता है, जैसे- सामाजिक समता का विचार स्थापित करना और स्कूली बच्चों को पोषण संबंधी जानकारी देना। बॉक्स 1 में मध्याह्न भोजन की विविध भूमिकाओं का खुलासा किया गया है।

बॉक्स : 1

निःशुल्क मध्याह्न भोजन से क्या-क्या हासिल हो सकता है?

अगर आप सोचते हैं कि प्राथमिक शालाओं में मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाना “समय की बर्बादी” है, तो फिर से सोचिए! पौष्टिक मध्याह्न भोजन के तमाम फायदे हो सकते हैं।

स्कूलों में भागीदारी बढ़ेगी : मध्याह्न भोजन का स्कूलों में भागीदारी पर भारी असर पड़ता है। इससे न केवल अधिक बच्चों का नामांकन संभव होता है। बल्कि बच्चों की नियमित उपस्थिति भी सुनिश्चित होती है।

कक्षा में भूख से बचाव : कई बच्चे खाली पेट स्कूल आ जाते हैं और अक्सर कुछ घंटों बाद वे भूखे हो जाते हैं। इससे उनकी ध्यान देने की क्षमता कम हो जाती है और सीखने की प्रक्रिया भी धीमी होती है। दोपहर का खाना कक्षा में बच्चों के भूखे होने की समस्या से भी बचाता है।

बच्चों की स्वास्थ्य वृद्धि में मदद : मध्याह्न भोजन बच्चों के लिए पूरक पोषाहार का नियमित स्रोत बन सकता है और इस तरह उनकी सही बढ़त में मददगार बन सकता है। उदाहरण के लिए अगर मध्याह्न भोजन में लोहे की मात्रा अधिक हो तो बच्चों को खून की कमी (एनीमिया) से बचाया जा सकता है। खून की कमी से बच्चों में कमजोरी बढ़ती है और उनकी सही बढ़त भी नहीं हो पाती।

शैक्षणिक महत्व : सुव्यवस्थित मध्याह्न भोजन का उपयोग बच्चों को अच्छी आदतें सिखाने के लिए किया जा सकता है (जैसे- खाने के पहले और बाद में हाथ धोना)। उन्हें स्वच्छ पानी, साफ-सफाई का महत्व व अन्य बातों की शिक्षा भी दी जा सकती है।

सामाजिक समता की भावना को पुष्ट करना : मध्याह्न भोजन द्वारा स्कूलों में समता की भावना का प्रसार किया जा सकता है क्योंकि विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चे एक साथ बैठ, एक-सा भोजन खाते हैं। वर्ग और जाति के बंधनों को तोड़ने से इसमें मदद मिलती है। दलित समुदाय के लोगों को रसोइयों के रूप में चुनने से भी जातिगत पूर्वाग्रह तोड़े जा सकते हैं।

लिंग समता को बढ़ावा : स्कूलों में आने वाले बच्चों में लड़के-लड़कियों की संख्या में अंतर नजर आता है, अर्थात् लड़कियों की संख्या अमूमन लड़कों से कम होती है। मध्याह्न भोजन प्रारंभ करने पर लड़के-लड़कियों की संख्या में यह अंतर कम हो जाता है। मध्याह्न भोजन महिलाओं के लिए रोजगार का साधन बनते हैं, साथ ही बच्चों को दोपहर में घर पर खाना उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी से भी स्त्रियां बच जाती हैं। इस अर्थ में स्त्रियों और बालिकाओं का मध्याह्न भोजन में बहुत कुछ दांव पर लगा है।

प्रश्न 4. क्या स्कूल जाने वाले हरेक बच्चे को पौष्टिक मध्याह्न भोजन पाने की हकदारी है?

हर वह बच्चा े सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूल में जाता है उसे एक पौष्टिक, पके हुए, मध्याह्न भोजन का हक है। इस श्रेणी में वे सभी स्कूल और केन्द्र भी आते हैं जो शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक नवाचार शिक्षा केन्द्र जैसी योजनाओं के तहत चल रहे हैं और वे मदरसे/मकतब भी शामिल हैं जिन्हें सरकारी सहायता मिलती है।

प्रश्न 5. क्या यह एक कानूनी अधिकार है?

हाँ, यह एक कानूनी अधिकार है, क्योंकि यह हक सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से प्राप्त हुआ है।¹ यह आदेश 28 नवंबर 2001 को निकाला गया था और सभी सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त शालाओं को निर्देश देता है कि वे बच्चों को पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाएं। अतः बच्चे (या उनके माता-पिता) हक से मध्याह्न भोजन की मांग कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसे अदालत की मदद से लागू करवा सकते हैं।

प्रश्न 6. जो बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं क्या उन्हें भी मध्याह्न भोजन का हक है?

नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश निजी स्कूलों पर लागू नहीं हैं।

1. दरअसल यह एक “अंतरिक आदेश” है, जो तब तक लागू रहेगा जब तक इस मामले का फैसला नहीं सुना दिया जाता। पर यह संभावना कम है कि अंतिम फैसले में इस आदेश में किसी प्रकार की कटौती हो।

प्रश्न 7. छह साल से कम उम्र के बच्चों जो स्कूल जाने की उम्र से छोटे हैं, उनके बारे में क्या होगा?

इन बच्चों को समेकित बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.) के तहत पोषाहार उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। दरअसल समेकित बाल विकास योजना सीमित स्तर पर ही उपलब्ध है और इसके तहत छह वर्ष से कम उम्र के एक चौथाई बच्चों को ही पोषाहार उपलब्ध हो पाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को हाल ही में आदेश दिया है कि आई.सी.डी.एस. को भी सार्वभौमिक बनाया जाए, अर्थात् छह वर्ष तक के सभी बच्चों को ये सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएं। पर ऐसा अब तक हो नहीं पाया है।²

प्रश्न 8. उन बच्चों का क्या होगा जो स्कूल जाते ही नहीं?

स्कूल जाना हरेक बालक-बालिका का बुनियादी अधिकारी है। आदर्श स्थिति तो वही है जहाँ हरेक बच्चा स्कूल जाता हो, ऐसे में सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन भी मिल सकेगा। परन्तु जमीनी वास्तविकता यह है कि कई बच्चे स्कूल जाते ही नहीं (6 से 14 वर्ष की आयु के तकरीबन 20 प्रतिशत बच्चे स्कूल नहीं जाते)। सैद्धान्तिक रूप से तो इन बच्चों को भी मध्याह्न भोजन मिलना चाहिए।

प्रश्न 9. सर्वोच्च न्यायालय इस मामले से कैसे जुड़ा?

अप्रैल 2001 में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी.यू.सी. एल.) नामक एक मानवाधिकार संगठन ने “भोजन के अधिकार”

2. अगर आपकी रुचि इस मुद्दे में है, तो आप “समेकित बाल विकास सेवाएं : एक प्रवेशिका” शीर्षक की पुस्तक देख सकते हैं।

संबंधी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में लगाई। उन दिनों भारतीय खाद्य निगम (फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) के गोदाम अनाज से अटे पड़े थे। अनाज की इतनी बोरियां थीं कि अगर उन्हें एक पर एक रखा जाता तो उनकी ऊंचाई चाँद से भी अधिक दूरी तक जाती। इधर, देश भर के लाखों लोग भूख और कुपोषण झेल रहे हैं। पी. यू.सी.एल ने अपनी याचिका में कहा की गोदामों में भरे इस अनाज को काम के बदले अनाज, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और स्कूलों में मध्याह्न भोजन जैसे कार्यक्रमों में काम लेना चाहिए ताकि आम जनता को भुखमरी से बचाया जा सके।

पी.यू.सी.एल. की इस याचिका ने सर्वोच्च अदालत में भोजन के अधिकार विषय पर एक व्यापक जनहित याचिका को जन्म दिया जो 'पी.यू.सी.एल.बनाम भारतीय संघ व अन्य' (जनहित याचिका (दीवानी) वर्ष 2001, संख्या 196) के नाम से जानी जाती है। यह मामला पी.यू.सी.एल. ने भूखे बच्चों सहित सभी वंचितों की ओर से भोजन के अधिकार के संदर्भ में दायर किया था।

यह मामला आज तक सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है और अदालत ने इस बीच 28 नवम्बर 2001 को व्यापक "अंतरिम आदेश" जारी किए थे। इन आदेशों में एक आदेश राज्य सरकारों को भी दिया गया था वे प्राथमिक शालाओं में पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाएं।

3. जनहित याचिका एक ऐसा अदालती मामला होता है जो समाज के एक समूचे भाग के लिए एक याचिकाकर्ता द्वारा दर्ज किया जाता है। यहां यह जरूरी नहीं होता कि याचिकाकर्ता स्वयं भी समाज के उस भाग का ही हिस्सा हो।

प्रश्न 10. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पहले क्या स्थिति थी?

कुछ राज्यों में, जैसे तमिलनाडु (तमिलनाडु के लिए बॉक्स 2 देखें) और गुजरात में, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पहले ही पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा था। अन्य राज्यों में सूखा राशन (अमूमन 3 किलो अनाज प्रति बालक, प्रति माह) उपलब्ध करवाने की व्यवस्था थी। यह अनाज 1995 में प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा संबल कार्यक्रम के तहत उपलब्ध करवाया जा रहा था। इस कार्यक्रम में भी यह प्रावधान था कि राज्य सरकारें क्रमशः पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाएंगी, परन्तु अधिकांश राज्य राशन उपलब्ध करवाने से आगे तब तक नहीं बढ़ें जब तक सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप कर ऐसा करने का आदेश नहीं दिया।

बॉक्स : 2

मध्याह्न भोजन : तमिलनाडु ने रास्ता दिखाया

तमिलनाडु पहला भारतीय राज्य है जिसने प्राथमिक स्कूलों में सार्वभौमिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया। 1923 में मद्रास में यह पथप्रदर्शक योजना पेश की गई। बाद में, 1960 में जब कामराज मुख्यमंत्री थे व्यापक स्तर पर मध्याह्न भोजन के प्रावधान किए गए। 1982 में मुख्यमंत्री एम.जी. रामचन्द्रन(एम.जी.आर.) ने सभी प्राथमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन का विस्तार किया। ऐसा कहा जाता है कि एक छोटे बच्चे से मिलने के बाद कामराज को मध्याह्न भोजन की योजना का विचार आया। यह बच्चा गाय-भैसों की देखभाल करता था जब मुख्यमंत्री कामराज ने उस बच्चे से पूछा कि तुम आज स्कूल क्यों नहीं गए तो बच्चे ने

जवाब दिया कि यदि मैं स्कूल जाऊं तो क्या तुम खाना दोगे? मैं तभी खा सकता हूँ जब कमाऊं बच्चे के इस जवाब ने मध्याह्न भोजन के विचार में जान डाल दी। एम.जी. रामचन्द्रन ने स्वयं भी बचपन में भूख झेली थी, अतः बच्चों को भूख से बचाना उनका निजी मिशन बना।

शुरुआत में एम.जी.आर. के इस साहसिक कदम को काफी विरोध का सामना करना पड़ा। कई विधायकों, सरकारी अधिकारियों और पत्रकारों ने इस योजना को खारिज करते हुए कहा कि यह जनता के पैसे की बर्बादी है। फिर भी बाद में मध्याह्न भोजन योजना काफी लोकप्रिय बनी और समय के साथ लोगों ने इस योजना की स्वीकार्यता बढ़ती गई। यह कोई सरकारी मुद्दा नहीं था फिर भी सरकार इसको लेकर संकल्पबद्ध थी। मध्याह्न भोजन तमिलनाडु के स्कूलों में आज दिनचर्या का एक प्रमुख भाग बन गया है। प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में तीन कर्मचारी नियुक्त हैं। एक रसोईया, एक सहायक और एक प्रबन्धक है जो रख-रखाव और हिसाब-किताब रखता है। क्योंकि यहां पर पर्याप्त कर्मचारी और आधारभूत ढांचा उपलब्ध है, कक्षा की गतिविधियां भी बिना किसी रुकावट के चलती हैं।

अभी हाल में ही तमिलनाडु में लोकहित योजनाओं की शोध रिपोर्ट, जो टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार (21 मई, 2003) में छपी थी, में मध्याह्न भोजन योजना के बारे में निम्नलिखित पंक्तियां कही गई :

“प्राथमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना का निरीक्षण करना रोमांचक था। हर जगह समय पर भोजन परोसना एक सुचारु दिनचर्या के अनुसार था। यह स्वाभाविक ही था कि बच्चे इस पूरी प्रक्रिया का आनंद ले रहे थे। व्यवस्था के प्रति शिक्षकों का भी सकारात्मक रवैया था। यहाँ हमें पेट दर्द या कक्षा में व्यवधान जैसी गड़बड़ियों का कोई संकेत नहीं मिला।”

(स्रोत: अनीता प्रताप “स्टूडेंट अगेस्ट हंगर” आउटलुक 18 अगस्त, 03)

प्रश्न 11. पका हुआ खाना उपलब्ध करवाना केवल राशन देने से क्यों बेहतर है?

पका भोजन कई तरह से अधिक फायदेमंद है। यह सच है कि अनाज उपलब्ध करवाने से स्कूलों के नामांकन में बढ़ोतरी होती है, परन्तु नियमित उपस्थिति इससे सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। इस अर्थ में पका हुआ मध्याह्न भोजन ही अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। इसके कारण बच्चे स्वयं स्कूल आते हैं और उन्हें हर दिन माता-पिता द्वारा समझाने-बुझाने की दरकार नहीं पड़ती। साथ ही मध्याह्न भोजन देने से खाने की घंटी की बाद भी बच्चे स्कूल में टिके रहते हैं और दोपहर बाद की कक्षाएं लगाना अधिक आसान होता है। इसके विपरीत अगर बच्चे खाना खाने के लिए घर जाते हैं तो वे हमेशा लौटकर वापस नहीं आते।

इसके अलावा मध्याह्न भोजन “समाजीकरण” की भूमिकाएं भी निभाता है जिन पर पहले चर्चा की जा चुकी है (देखे बॉक्स 1)। यह सब मात्र अनाज उपलब्ध करवाने से संभव नहीं होता। साथ ही, मध्याह्न भोजन “कक्षा में भूखे” रहने की समस्या को खत्म करता है, जिसे सूखा राशन नहीं मिटा सकता।

प्रश्न 12. सामान्य जानकारी के लिए यह भी बताएं कि 28 नवंबर 2001 के आदेशों में और क्या-क्या कहा गया?

ये आदेश भोजन से संबंधित आठ “योजनाओं” के विषय में हैं, ये योजनाएं हैं : मध्याह्न भोजन, समेकित बाल विकास सेवाएं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्त्योदय अन्य योजना, अन्नपूर्णा, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना और

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना। 28 नवंबर 2001 के आदेशों द्वारा जो मूल बदलाव किया गया वह यह था कि इन योजनाओं से दिए जा रहे 'लाभ' या 'सहायता' को हकदारियों में बदल किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी अन्त्योदय कार्डधारी महिला को 35 किलों अनाज का अपना पूरा कोटा (रु. 3 प्रति किलो की दर से चावल तथा रु. 2 प्रति किलो की दर से गेहूँ) न उपलब्ध करवाया जा रहा हो, तो वह जरूरत पड़ने पर अदालत में जाकर भी इस हक का दावा कर सकती है।⁴

प्रश्न 13. इन आदेशों की देखरेख कैसे की जा रही है?

8 मई 2002 के अपने आदेश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने 'आयुक्तों' की नियुक्ति की जो भोजन के अधिकार से संबंधित सभी आदेशों के क्रियान्वयन का प्रबोधन करेंगे। आयुक्तों को अदालत की संपूर्ण सत्ता के साथ आदेशों के उल्लंघन की जांच तथा उनके समाधान की मांग करने की शक्तियां भी दी गई हैं। सभी आयुक्त एक निश्चित अंतराल पर सर्वोच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्टें देते हैं। इन रिपोर्टों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय आदेशों के क्रियान्वयन पर पूरी नजर रखता है और जरूरत पड़ने पर नए आदेश भी जारी करता है।

4. अगर आपकी रुचि इस जनहित याचिका में या, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए "अंतरिक आदेशों" में हो, तो पुस्तक के अंत में परिशिष्ट में दिए गए स्रोतों को देखें। इन आदेशों में से कुछ के दूरगामी निहितार्थ भी हैं, इसलिए उन्हें ध्यान से देखना अच्छा होगा।

प्रश्न 14. मध्याह्न भोजन योजना संबंधी आदेशों का क्रियान्वयन कैसे किया जाता है?

वैसे तो आदेशों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है। फिर भी केन्द्र सरकार राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा संबल योजना के पोषाहार सहयोग कार्यक्रम के तहत कई प्रकार से वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है। (विस्तृत जानकारी के लिए नीचे देखें)

प्रश्न 15. क्या राज्य सरकारों ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को लागू किया है?

शुरुआत में अधिकांश राज्य सरकारों ने यह दावा किया था कि उनके पास प्राथमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाने के लिए "कोई पैसा नहीं" है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने सख्ती बरतते हुए उन्हें कहा कि वे "अन्य स्थानों (व्ययों) में कटौती करें" इस बीच देश भर में मध्याह्न भोजन की मांग के अभियान शुरू हो गए। तब मध्याह्न भोजन की योजना क्रमशः एक के बाद एक राज्य में प्रारंभ की गई और आज लगभग सभी राज्यों में चलाई जा रही है। फिर भी यह याद रखा जाना चाहिए कि इसका क्रियान्वयन 28 नवंबर 2001 के अंतरिम आदेशों के बाद छह माह की अवधि में हो जाना चाहिए था, परन्तु जमीनी स्तर पर इसे लागू करने में दरअसल करीब चार साल लग गए। 2001 के प्रारंभिक आदेश के बाद भोजन की गुणवत्ता, उस पर किया जाने वाला व्यय, ढांचों का प्रावधान व अन्य मसलों पर सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिए, उनका क्रियान्वयन तो अब भी बाकी है। यानी लड़ाई खत्म नहीं हुई, वह जारी है।

बॉक्स : 3

मध्याह्न भोजन के विषय में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश

28 नवंबर 2001 के ऐतिहासिक आदेश के बाद भी सर्वोच्च न्यायालय समय-समय पर मध्याह्न भोजन के विषय पर “अंतरिम आदेश” जारी करता रहा है। इनमें से कुछ प्रमुख आदेशों का सार-संक्षेप नीचे दिया जा रहा है। इनके स्रोतों का परिशिष्ट में उल्लेख किया गया है।

बुनियादी हक़दारी : “प्रत्येक सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूल में आने वाले बालक-बालिका को स्कूल में हर दिन पका हुआ मध्याह्न भोजन दिया जाना चाहिए : भोजन में कम से कम 300 कैलोरी होनी चाहिए और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन भी प्रतिदिन शामिल किया जाना चाहिए; यह वर्ष में कम से कम 200 दिन अवश्य उपलब्ध करवाना चाहिए।” (28 नवंबर 2001 का आदेश)

निःशुल्क : “भोजन पकाने पर होने वाला व्यय किसी भी सूरत में बच्चों या उनके माता-पिता से नहीं वसूला जाना चाहिए।” (20 अप्रैल, 2004 का आदेश)

केंद्रीय सहायता : “खाद्यान्न को पका कर भोजन बनाने में आने वाले खर्च के लिए केन्द्र सरकार वित्त आवंटित करें।” (20 अप्रैल, 2004 का आदेश)

रसोई शेड : “केन्द्र सरकार रसोई-शेड बनाने के लिए प्रावधान करें।” (20 अप्रैल 2004 का आदेश)

दलित वर्ग से रसोइयों को प्राथमिकता : “भोजन पकाने व पकाने में सहायता करने वाले लोगों की नियुक्ति करते समय

दलित वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्राथमिकता दी जाए।” (20 अप्रैल 2004 का आदेश)

गुणवत्ता संबंधी सावधानियां : “बेहतर व्यवस्थाएं करने की, बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाने की (जैसे सुरक्षित पेयजल आदि) कोशिश की जाए, कार्यक्रम की कड़ी देखरेख हो (नियमित निरीक्षण आदि) तथा गुणवत्ता संबंधी अन्य सावधानियां बरती जाएं, साथ ही भोजन में जो कुछ पकाया जा रहा है उसे भी सुधारने की चेष्टा हो ताकि प्राथमिक शालाओं के बच्चों को पौष्टिक भोजन दिया जा सके।” (20 अप्रैल 2004 का आदेश)

गर्मी की छुट्टियाँ : “सूखा पीड़ित क्षेत्रों में ग्रीष्मावकाश के दौरान भी मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाया जाए।” (20 अप्रैल, 2004 का आदेश)

गुणवत्ता का साझा निरीक्षण : “हम भारतीय संघ तथा भारतीय खाद्य निगम को निर्देशित करते हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि इस योजना के लिए औसत गुणवत्ता का अनाज समयानुसार उपलब्ध करवाया जाए। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तथा भारतीय खाद्य निगम को निर्देशित किया जाता है कि वे खाद्यान्नों का साझा निरीक्षण करें। अगर निरीक्षण के दौरान यह पाया जाए कि खाद्यान्न सही औसत दर्जे का नहीं है, तो भारतीय खाद्य निगम उसे वितरण के पहले ही बदले।” (28 मई, 2001 का आदेश)

भाग 2

आधिकारिक मानक और दिशानिर्देश

प्रश्न 16. मध्याह्न भोजन की योजनाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है?

मध्याह्न भोजन के लिए पैसा, केंद्र तथा राज्य सरकारें साझा रूप से उपलब्ध करवाती हैं। प्रत्येक राज्य की अपनी मध्याह्न भोजन योजना है।

प्रश्न 17. केंद्र सरकार का क्या योगदान है?

केंद्र सरकार इस योजना के लिए मुफ्त अनाज उपलब्ध कराती है, यातायात के लिए किराये के लिए व उस अनाज को पकाने की लागत के रूप में एक रुपया प्रतिदिन, प्रति बच्चा के आधार पर देती है। (बॉक्स 4 में केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली सहायता (दिसम्बर 2004) का ब्यौरा दिया गया है।)

बॉक्स 4 मध्याह्न भोजन के लिए केंद्रीय सहायता (दिसंबर 2004)	
मद	केंद्रीय सहायता (रु./प्रति बालक/ प्रति स्कूल दिवस)
खाद्यान्न का औसत व्यय (100 ग्राम, प्रति बालक प्रतिदिन)	1.11
औसत परिवहन, परिदान (सब्सिडी)	0.08
(भारतीय खाद्य निगम के निकटतम गोदाम से प्राथमिक शाला तक	

रु. 75 प्रति क्विंटल की दर से।)	
भोजन पकाने पर आने वाले व्यय में सहायता*	रु. 1.00
प्रबंधन, निरीक्षण तथा मूल्यांकन के लिए सहायता	0.02
कुल	2.21
(स्रोत : मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिशानिर्देश, दिसंबर, 2004 उपरोक्त सहायता के साथ केंद्र सरकार को सूखाग्रस्त इलाकों में गर्मी की छुट्टियों के दौरान मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाने पर होने वाले खर्च का भी प्रावधान करना होगा।)	

प्रश्न 18. राज्य सरकारों का क्या योगदान है?

राज्य सरकारों का योगदान विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में राज्य सरकारें भोजन पकाने के मद पर प्रति बच्चा, प्रतिदिन 1 रुपया, केंद्र सरकार के योगदान के अतिरिक्त देती हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार बहुत कम योगदान देती है। मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता भी इसी कारण भिन्न है : तमिलनाडु के बच्चों को न केवल पौष्टिक आहार मिलता है बल्कि हर दिन कुछ अलग-अलग परोसा जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश में हर दिन बेस्वाद खिचड़ी ही परोसी जाती है।

* पकाने के खर्च का मतलब उस सारे खर्च से है जो अनाज को पके हुए भोजन में तब्दील करने पर आता है। इसमें सामान्यतः जो खर्च शामिल होते हैं वह निम्नलिखित हैं : (1) अनाज के अलावा अन्य सामग्री, जैसे दालें, सब्जियां, तेल, मसाले, आदि पर होने वाला खर्च, (2) ईंधन पर खर्च होने वाली लागत, और (3) खाना पकाने वाले कर्मचारियों का वेतन, या जो पैसा उस स्वयं सहायता समूह, ग्राम शिक्षा समिति या महिला मंडल को दिया जाएगा जो खाना पकाने का काम करेगा।

अतः यह बेहद जरूरी है कि राज्य सरकारों पर दबाव डाला जाए कि वे अपना योगदान बढ़ाएं। सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्तों ने भी यह अनुशांसा की है कि पकाने पर आने वाले व्यय के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानक को 2 रुपये किया जाए ताकि केंद्र व राज्य सरकार का योगदान बराबर हो जाए। यह मानक बहुत भारी नहीं है और बाद में महंगाई के अनुपात में इसे बढ़ाया भी जाना चाहिए। वित्तीय योगदान के अलावा यह भी महत्वपूर्ण होगा कि राज्य सरकारें मध्याह्न भोजन योजना को अपनी ही योजना मानें और इसे पूरा समर्थन दें। राज्य सरकारों के ऐसे जुड़ाव व राजनैतिक समर्थन के कारण ही मध्याह्न भोजन योजना कुछ राज्यों में दूसरे राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा सफल रही है।

प्रश्न 19. क्या मध्याह्न भोजन योजना को बेहतर बनाने के लिए अन्य सरकारी योजनाओं से संसाधन जुटाए जा सकते हैं?

जी हां। अधिकांश राज्यों में मध्याह्न भोजन योजना के लिए कुछ भागों के लिए दूसरी योजनाओं से वित्त निकाला जा सकता है। उदाहरण के लिए ग्रामीण इलाकों में रसोई पकाने के श्रेड, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत बनवाए जा सकते हैं। पेयजल की व्यवस्था त्वरित ग्रामीण जल वितरण कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस. पी.) के तहत की जा सकती है और खाना पकाने के बर्तन सर्व शिक्षा अभियान को आवंटित राशि से खरीदे जा सकते हैं। इसी प्रकार की सुविधाएं शहरी इलाकों में भी राष्ट्रीय बस्ती विकास कार्यक्रम या स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार कार्यक्रम जैसी योजनाओं के तहत उपलब्ध हैं। उम्मीद यह भी है कि शीघ्र ही राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून के तहत भी ऐसे कई अवसर मिल सकेंगे।

प्रश्न 20. रसोईये व सहायकों की नियुक्ति कैसे की जानी चाहिए?

रसोई पकाने वाले लोगों और उनके सहायकों को समुदाय की पूरी भागदारी से नियुक्त करना चाहिए। माता-पिता व शेष ग्रामीण लोग मिलजुल कर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य चुने तथा अभिभावक शिक्षक संघ बनाएं, जो इसके बाद समुदाय में से ही रसोइयों व सहायकों को चुनें। सर्वोच्च न्यायालय के 20 अप्रैल 2004 के आदेश के अनुसार इन नियुक्तियों में “दलितों, अनूसूचित जाति तथा जनजाति” के लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

प्रश्न 21. क्या मध्याह्न भोजन छुट्टियों के दौरान भी दिया जाता है?

सर्वोच्च न्यायालय का आदेश ऐसा करने पर बाध्य तो नहीं करता, लेकिन ऐसा किया जा सके तो अच्छा है। कुछ राज्यों में, खासतौर से तमिलनाडु में स्कूली बच्चों को छुट्टियों के दौरान स्कूल बंद हो जाने पर भी पका हुआ भोजन मिलता है। गौर करें कि 20 अप्रैल 2004 के अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कहा है कि “सूखाग्रस्त इलाकों” में छुट्टियों के दौरान भी मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। (देखें बॉक्स 3)

प्रश्न 22. क्या बच्चों और उनके माता-पिता को भोजन व्यय के नाम पर कुछ योगदान देना होगा?

नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी भी हालत में भोजन पकाने का कोई भी खर्च बच्चों या उनके माता-पिता से नहीं वसूला जाएगा। कई बार प्राथमिक स्कूल समुदाय से चंदा एकत्रित करते हैं, यह अपने आप में गलत नहीं है। परन्तु ऐसे योगदान को कभी भी अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए क्योंकि प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क मध्याह्न भोजन का हक है।

मध्याह्न भोजन का व्यवहारिक पक्ष

प्रश्न 23. क्या स्कूलों में खाना पकाना व बांटने की प्रक्रिया कक्षा में गतिविधियों के आड़े नहीं आता?

यह चिन्ता उचित है। परन्तु अगर मध्याह्न भोजन की सही व्यवस्थाएं बैठा ली जाएं तो कक्षा में सीखने-सिखाने की गतिविधियों में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। ऐसा करने के लिए अच्छी ढांचागत व्यवस्थाएं करनी होंगी, जैसे अलग से रसोई का शेड बनाना होगा। क्योंकि अगर कक्षा में ही खाना पकाया जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि शिक्षक को पढ़ाने में कितनी परेशानी होगी। इस विषय पर हम फिर से लौटेंगे। यह भी जरूरी होगा कि खाना पकाने वाले व्यक्ति, उनके सहायक, शिक्षक व समुदाय के कामों का स्पष्ट विभाजन भी किया जाए। इनमें से प्रत्येक की भूमिका मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को बिना बाधा व खतरे के, सुचारू तरीके से चलाए जाने में महत्वपूर्ण है।

रसोइया व सहायक

खाना बनाने वाली / वाला और उसके सहायक की नियुक्ति ऐसे की जाए कि वे भोजन बनाने में बच्चों या शिक्षकों की कोई मदद न लें। रसोइए की यह जिम्मेदारी है कि वह प्रतिदिन बच्चों को समय पर स्वादिष्ट और पोषिक भोजन उपलब्ध करवाएं। सहायक को खाना पकाने में रसोइए की मदद करनी होगी और साफ-सफाई रखनी होगी, ताकि खाना पूरी सफाई के साथ पकाया जाए। साथ ही पकाने व परोसने के बर्तनों को भी अच्छी तरह से मांजना-धोना

होगा। जब तक खाना पक नहीं जाता शिक्षक की कोई आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए और उसे उस दौरान समायानुसार अपनी कक्षाएं चलानी चाहिए।

शिक्षकों की जिम्मेदारियां

बच्चों को खाना खिलाने से पहले शिक्षक को उसे “चखना” चाहिए ताकि यह पता चल सके कि उसमें कोई बासी चीजें तो नहीं डाल दी गई हैं, और यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि भोजन पौष्टिक है या नहीं (नमक व चावल खिलाना काफी नहीं है।) शिक्षक अपने निरीक्षण में बच्चों के हाथ धुलवाने चाहिए। इसी दौरान उनके नाखून व साधारण साफ-सफाई पर भी गौर किया जा सकता है। शिक्षक को खिलाने और बच्चों द्वारा खाने के समय भी उपस्थित रहना चाहिए ताकि सब कुछ व्यवस्थित तरीके से और पूरी सफाई से हो। मध्याह्न भोजन के समय का उपयोग शिक्षक कई शिक्षक गतिविधियों के लिए भी कर सकते हैं : वे बच्चों को इस दौरान खाना खाने की अच्छी आदतें सिखा सकते हैं, उन्हें भोजन पकाने वाले और सहायक को खाने से पहले धन्यवाद कहना सिखा सकते हैं, पौष्टिक आहार के बारे में बता सकते हैं, आदि-आदि।

कुछ राज्यों में शिक्षकों को मध्याह्न भोजन के प्रबंधन की जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं, जैसे हिसाब रखना, राशन की दुकान से अनाज लाने की व्यवस्था करना, आदि। इससे उनका ध्यान कक्षाओं की गतिविधियों से बंट सकता है। कुछ राज्यों में, प्रत्येक स्कूल में मध्याह्न भोजन को चलाने के लिए ‘प्रबंधक’ की व्यवस्था की गई है। प्रबंधक को पूरी जिम्मेदारी सौंपने पर शिक्षक केवल पढ़ाने पर ध्यान दे सकते हैं। ऐसी व्यवस्था उचित रहती है क्योंकि इससे कक्षा

की गतिविधियों में कोई व्यवधान नहीं आता।

समुदाय की भागीदारी

ग्राम पंचायतें, ग्राम शिक्षा समितियां और अभिभावक-शिक्षक संघ, मध्याह्न भोजन योजना को सुव्यवस्थित रूप से चलाने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। उपरोक्त संस्थाओं, की खासतौर से ग्राम पंचायतों की, मध्याह्न भोजन योजना में अक्सर कुछ औपचारिक भूमिकाएं भी रख जाती हैं। उदाहरण के लिए कुछ राज्यों में यह ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी होती है कि वे खाना पकाने में काम आने वाली वस्तुएं तथा ईंधन आदि खरीदने की व्यवस्था करें। कई राज्यों में मध्याह्न भोजन योजना के प्रबंधन में महिला मण्डलों और स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय रूप से शामिल किया गया है। इन समूहों के माध्यम से समुदाय की महिलाएं स्कूलों के सीधे संपर्क में आती हैं। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश में खाना पकाने की जिम्मेदारी कई बार महिला मण्डलों को दी गई है।

इन औपचारिक जिम्मेदारियों के अलावा भी समुदाय को सक्रिय भागीदारी कई तरह से मददगार सिद्ध हो सकती है। उदाहरण के बतौर समुदाय के सदस्र अनौपचारिक रूप से मध्याह्न भोजन की 'देखरेख' कर सकते हैं और किसी भी अनियमितता की सूचना ग्राम पंचायत या अन्य संबंधित अधिकारी को दे सकते हैं। खाना पकाने वालों व सहायकों की नियुक्ति के समय भी इनकी सलाह ली जानी चाहिए। बर्तनों, ईंधन, सब्जियों, दूध-दही-छाछ के रूप में समुदाय से स्वैच्छिक योगदान को प्रोत्साहित करना चाहिए। मध्याह्न भोजन को और बेहतर बनाने के लिए समुदाय स्कूल में, सब्जियों का बाग लगाने में भी मदद कर सकता है।

संक्षेप में कह सकते हैं कि मध्याह्न भोजन योजना के लिए सही ढांचे की और उपलब्ध मानव संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने की आवश्यक होती है अगर इन बातों को सुनिश्चित कर लिया जाए तो मध्याह्न भोजन कक्षा की गतिविधियों में कोई बाधा नहीं डालेगा।

प्रश्न 24. एक प्रभावशाली मध्याह्न भोजन योजना के लिए कौन से बुनियादी ढांचों की जरूरत होती है?

दोपहर खाना योजना के लिए जिन मूलभूत ढांचों की आवश्यकता होगी वे हैं:

रसोईघर व गोदाम की सुविधा : खाना पकाने के लिए अगर रसोईघर अलग से व्यवस्था नहीं होगी तो सीखने-सिखाने की प्रक्रिया बाधित होगी। सुरक्षा की दृष्टि से भी रसोईघर की जगह अलग होनी चाहिए अन्यथा आग लगने, दुर्घटना घटने या खाना दुषित होने का डर भी रहता है। धुएं से बचाव के पर्याप्त उपाय भी किए जाने चाहिए – जैसे चिमनी, धुआं रहित चूल्हे, एकजॉस्ट पंखे आदि यंत्र। गोदाम की सही व्यवस्था भी जरूरी है ताकि अनाज को चूहों व फफूंद आदि से बचाया जा सके। आदर्श स्थितियों में यह एक अलग ताला बंद कक्षा होना चाहिए। खाद्यान्न को बोरियों के बदले बंद डिब्बों में ही रखना ज्यादा उचित होगा।

साफ पानी : स्कूल परिसर में साफ पानी का स्रोत उपलब्ध होना चाहिए। इससे सफाई और आसानी से भोजन पकाने में मदद मिलेगी। पीने के लिए और धोने-पोंछने व साफ-सफाई के लिए भी साफ पानी की जरूरत होती है। बच्चों को यह सिखाना भी जरूरी है कि वे खाने के पहले और बाद में हाथ धोएं। यह भी

तभी किया जा सकेगा जब स्कूल में साफ पानी उपलब्ध हो। साथ ही ऐसे में खाना पकाने वालों की आस-पास के स्रोत से पानी ढोकर लाने की मेहतन भी बचेगी। कई स्थानों पर पानी के लिए कुछ किलोमीटर भी जाना पड़ता है।

पकाने के बर्तन व दूसरे उपकरण : पूरी सफाई से और बिना इंझट के खाना पकाने के लिए सुविधाजनक चूल्हे से लेकर कई दूसरे उपकरणों की जरूरत पड़ती है। चपटी पैँदे वाले बड़े भगोने होने चाहिए ताकि बड़ी मात्रा में खाना पकाया जा सके। इसके अलावा लंबे हथ्ये वाली कलछियां होनी चाहिए, ताकि खाने को हिलाया व परोसा जा सके, मसाले, अनाज आदि नापने-तोलने के औजार, धारदार छुरियां, काटने के फट्टे, अच्छी तरह से बंद होने वाला मसलादान आदि भी जरूरी है।

ईंधन : राज्यों से अलग-अलग तरह के ईंधन की व्यवस्था है। जैसे कहीं स्कूलों को गैस के चूल्हे दिए जा सकते हैं तो कहीं स्थानीय रूप से उपलब्ध लकड़ी खरीदी जा सकती हैं। अक्सर ईंधन की माकूल व्यवस्था नहीं की जाती जिससे मध्याह्न भोजन पकाने व खिलाने में परेशानी आती है। अगली बार जब आप स्थानीय प्राथमिक स्कूल जाएं, तो क्यों न यह देखें कि वहां ईंधन की कैसी व्यवस्था है?

प्रश्न 25. मध्याह्न भोजन तैयार करते समय सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए?

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की सफलता के लिए सुरक्षा और साफ-सफाई बेहद महत्वपूर्ण है। सफाई का पूरा ख्याल न रखा जाए तो खाना बिगड़ सकता है। और खराब खाने से बच्चे बीमार पड़

सकते हैं। इससे शिक्षक और माता-पिता भी इस कार्यक्रम का विरोध करने की स्थिति में आ सकते हैं। इस स्थिति से बचाव करना मुश्किल काम नहीं है परन्तु इसके लिए सुरक्षा और स्वच्छता पर हमेशा कड़ी नज़र रखनी होगी। खाना पकाने वालों और उनके सहायकों की इस संदर्भ में खास जिम्मेदारी है। जो भी व्यक्ति भोजन पकाने की प्रक्रिया से जुड़े हैं उन्हें अपनी निजी साफ-सफाई और सुरक्षा सावधानियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी दस “सूत्र” बॉक्स 5 में दिए जा रहे हैं।

बॉक्स : 5

सुरक्षा व सफाई संबंधी दस सूत्र

- 1. रसोई घर :** खाना रसोई घर में पकना चाहिए, जो कक्षाओं से सुरक्षित दूरी पर बना हो। रसोई हमेशा साफ होनी चाहिए। खाना पकाने के लिए ऊँचा प्लेटफार्म, उचित प्रकाश, हवा, पानी के निकास की और कचरा फेंकने की उचित व्यवस्थाएं की जानी चाहिए।
- 2. सामग्री का गोदाम :** पकाने में काम में आनेवाली सभी वस्तुओं को सही डिब्बों में रखा जाना चाहिए ताकि वे सूखी रहें व उसमें कीड़े न लगें।
- 3. ईंधन का गोदाम :** ईंधन को सुरक्षित व रसोई से अलग रखा जाना चाहिए ताकि आग लगने के खतरों से बचा जा सके।
- 4. धुंआ :** जहां तक सम्भव हो “धुंआ रहित चूल्हों” का प्रयोग करना चाहिए। साधारण चूल्हों से निकलने वाला धुंआ फेंफड़ों और आंखों को नुकसान पहुंचाता है।
- 5. स्वच्छता :** जो भी लोग मध्याह्न भोजन की सामग्री देख-रेख में या भोजन पकाने और खिलाने से जुड़ें हों, उन्हें अपनी निजी

स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए (जैसे, नियमित रूप से नाखून काटना, रसोईघर में आने बालों को बांधे रखना, खाना पकाने व खिलाने के पहले हाथ-पैर साबुन से अच्छी तरह साफ करना।)

6. खाने की गुणवत्ता : पकाने के काम में आने वाली सभी चीजें (जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, तेल, मसाले आदि) मिलावट व कीड़े-फफूंद रहित आदि होनी चाहिए और उनका उपयोग अच्छी तरह साफ करने, धोने आदि के बाद ही करना चाहिए।

7. पका हुआ खाना : खाना पकाने के बाद जब खाने के लिए तैयार हो, तब उसे ढक कर और कीड़ों से बचाकर रखना चाहिए।

8. स्वास्थ्य जांच : इस बात का खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि रसोई बनाने वाले व उनके सहायक किसी प्रकार के संक्रामक रोग से पीड़ित तो नहीं हैं। क्योंकि वे भोजन के साथ संक्रमण भी फैला सकते हैं। उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए।

9. बर्तनों की सफाई : पकाने और परोसने वाले सभी बर्तनों को हर दिन खाना पकाने के और परोसने वाले सभी बर्तनों को हर दिन खाना पकाने के बाद अच्छी तरह मांज-धो और सुखा कर रखना चाहिए।


10. कचरा का निपटारा : कचरे के निपटारों की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। उसे यों ही खुले में नहीं फेंकना चाहिए

भाग - 4

मध्याह्न भोजन के पोषण संबंधी पक्ष

प्रश्न 26. बच्चों के पोषण स्तर में मध्याह्न भोजन सच में कोई बदलाव कैसे कर सकता है?

यह दावा तो नहीं किया जा सकता कि मध्याह्न भोजन बच्चों की सभी दैनिक पोषण आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। फिर भी यह हमें देश के तमाम बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार लाने का एक अवसर देता है। पर इसका मतलब यह भी है कि हमें सुनिश्चित करना होगा कि जो आवश्यक पोषण तत्व हैं (देखें बॉक्स 6) उन्हें मध्याह्न भोजन में शामिल किया जाए।



खाने की पौष्टिकता को बढ़ाने के लिए छोटे-छोटे उपाए किए जा सकते हैं जिसमें बिना खर्च किए साधारण चीजों को अधिक पौष्टिक बनाया जा सके। ये प्रक्रियाएं हैं – अंकुरित करना, खमीर उठाना, लोहे के बर्तनों में खाना पकाना, हरी पत्तेदार सब्जियां मिला देना। थोड़ी-सी रचनात्मक और कल्पना के इस्तेमाल से उपलब्ध स्थानीय खाद्यान्नों को बिना अधिक लागत के पौष्टिक बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए पालक (साग) हर जगह उपलब्ध होता है, उसे दाल में डाला जा सकता है।

बॉक्स 6 : पोषण संबंधी तथ्य

अनाज

चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी आदि अनाज इस समूह में शामिल हैं। ये हमें ऊर्जा या कैलोरी, प्रोटीन तथा अदृश्य वसा (चिकनाई) देते हैं। इनमें हमें लोहा, थिआमाइन, रिबोफ्लैविन, फोलिक एसिड और रेशा मिलता है।

दलहन और फलियाँ

इस समूह में सभी दालें और फलियाँ, सेम, सोया के दाने, मटर, चने, राजमा, छोला आदि) आती हैं। ये भी ऊर्जा, प्रोटीन तथा अदृश्य वसा, विटामिन, बी-1, विटामिन बी-2, फोलिक एसिड, कैल्शियम, लौह तत्व तथा रेशा उपलब्ध करवाते हैं।

दूध, गिरी तथा मांसाहारी उत्पाद

इस समूह में दूध, दही, छेना, पनीर, बदाम, मूंगफली, मुर्गी, मांस, अंडा, मछली जैसे खाद्य पदार्थ शामिल हैं। इनसे प्रोटीन, वसा, कैल्शियम तथा विटामिन बी-2 मिलता है।

फल व सब्जियाँ

इस समूह में हरी पत्तेदार सब्जियाँ, पीले या नारंगी फल व सब्जियाँ, जैसे पपीता, आम, गाजर, टमाटर, कद्दू, डंठल, पत्तियाँ,

फूल और पत्ता गोभी, भिंडी, बैंगन, करेला, लौकी, तुरई, सहजन की फली आदि शामिल हैं। आंवला और नींबू जैसे फलों से खनिज तत्व तथा विटामिन, खासकर विटामिन-सी, कैल्शियम, लौह तत्व, फोलिक एसिड तथा विटामिन ए मिलता है। साथ ही इनसे अन्य पोषक तत्व, अदृश्य वसा, विटामिन बी-2 तथा रेशे प्राप्त होते हैं। ये खाने के स्वाद को बदल देते हैं व खाने में रेशे की मात्रा भी इन्हीं से मिलती है।

वसा तथा शर्करा

यह समूह ऊर्जा या कैलोरी उपलब्ध करवाते हैं – वनस्पति तेल, घी, मलाई, चीनी व गुड़ इसमें शामिल हैं। इससे खाने में स्वाद और संगुंध बढ़ती है और वे अधिक कैलोरी उपलब्ध करवाते हैं। क्योंकि बच्चों की भोजन की मात्रा सीमित होती है अतः इनके उपयोग से कम मात्रा में अधिक कैलोरी दी जा सकती है। भारत में आमतौर पर पकाने के लिए सरसों, नारियल, मूंगफली, पाल्मोलीन तथा सूरजमुखी का तेल काम में लिया जाता है।

प्रश्न 27. खाना कितना पकाना चाहिए?

सरकारी दिशा-निर्देशों के हिसाब से हर बच्चे के लिए 100 ग्राम अनाज और उसके साथ दाल, सब्जी, तेल, मसाले आदि होने चाहिए। यह ज़रूरी है कि हम बच्चों को भरपेट खाने दें। अगर ज़रूरी हो तो हमें खाने की मात्रा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधन न इकट्ठा करने चाहिए। अगर खाना नियमित रूप से कम पड़े तो सबसे पहले तो यही जांच करनी चाहिए कि कोई 'धांधली' तो नहीं कर रहा है।

प्रश्न 28. क्या हर रोज वही भोजन पकाना और परोसना चाहिए?

बिल्कुल नहीं। बल्कि कोशिश यह होनी चाहिए कि खाने में

अलग-अलग तरह के साथ में पौष्टिक भी हों। किसी एक ही सब्जी, फल या अनाज में सभी आवश्यक पोषण तत्व नहीं होते। अलग-अलग तरह का खाना यह भी सुनिश्चित करता है कि बच्चे हर दिन ठीक से खाएं।

यह बिल्कुल संभव नहीं है कि खर्च का ख्याल रखते हुए विविध व पौष्टिक भोजन की योजना बनाई जाए। स्थानीय समुदाय, अभिभावक व शिक्षक संघ, महिला स्वयं सहायता समूह और पोषण विशेषज्ञों (जैसे स्थानीय होम साइन्स कॉलेज) की सलाह से आहार की योजना बना सकते हैं। दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अन्न, अंडे व दूध, केले जैसे फल दिए जा सकते हैं और ढोकला, दाल-भात, दलिया, खीर जैसे व्यंजन भी पकाए जा सकते हैं। कब क्या पकेगा इसकी सूची स्थानीय स्तर पर (जिला स्तर या उससे भी नीचे, खण्ड स्तर पर) बनाई जानी चाहिए क्योंकि देश के अलग-अलग हिस्सों में उपलब्ध खाद्य सामग्रियाँ व भोजन पकाने की शौली में भी काफी अंतर होता है।

प्रश्न 29. बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने के लिए मध्याह्न भोजन के अलावा क्या किया जा सकता है?

अगर “स्कूली स्वास्थ्य योजना” का कार्यक्रम जोड़ दिया जाए तो वह मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का पूरक होगा। ऐसे किसी कार्यक्रम में बच्चों की वृद्धि (बढ़त) की देखरेख उन्हें पूरक सूक्ष्म पोषण तत्व (जैसे लौह तत्व) देना, टीकाकरण और सामान्य पर कमजोर करने वाले रोगों के उपचार, आंखों व दातों की नियमित जांच करना शामिल हैं। यह बहुत जरूरी है कि बच्चों के लिए पीने का साफ पानी आसानी से उपलब्ध हो, और साफ शौचालयों की व्यवस्था भी हो।

भाग – 5

हम क्या कर सकते हैं

यह सच है कि मध्याह्न भोजन योजना अब तकरीबन सभी स्थानों पर फैलाई जा चुकी है और यह एक तरह की जीत है, क्योंकि यह जनता के दबाव तथा सर्वोच्च न्यायालय की मदद से संभव हुआ है। फिर भी अधिकांश राज्यों में जो मध्याह्न भोजन दिया जाता है उसकी गुणवत्ता काफी कम है : परोसा जाने वाला खाना पर्याप्त नहीं होता, साफ-सफाई संबंधी सावधानियाँ नहीं बरती जाती और सामाजिक भेदभाव भी मिलता है। अतः अगली चुनौती यह है कि मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता में क्रांतिकारी बदलाव लाया जाए। यह हासिल करना हो तो फिर से जनता को सतत दबाव डालना होगा, क्योंकि यह साफ है कि बाल अधिकार राजनैतिक एजेंडे में प्राथमिकता पर नहीं हैं। इस कोशिश में सभी अपना योगदान दे सकते हैं : सभी स्तरों पर काम करने की जरूरत है : जन कार्रवाई में दूर-दराज के गांवों से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक काम करना होगा और यहां पर हर व्यक्ति की भूमिका है : माता-पिता, शिक्षक, पत्रकार, राजनीतिज्ञ या समुदाय के सदस्य।

यह कैसे किया जाए इसकी कोई तयशुदा विधि नहीं है। स्थानीय परिस्थितियों और लोगों की कल्पनाशक्ति पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अतः हम कोई खाका या नक्शा बना या खींच नहीं सकते। फिर भी हम कुछ विचार और सुझाव सामने रख सकते हैं जो इस अभियान के दौरान उभरे थे। इनमें से कई का पहले भी, कहीं न कहीं उपयोग हो चुका है। हमें उम्मीद है कि ये ‘संकेत’ आपको अपने इलाके में ऐसी ही किसी गतिविधि को शुरू करने में मदद करेंगे।

क्या 'जाँच' करें-

स्थानीय स्तर पर कुछ करने की शुरुआत में पहली चीज जो जांचनी चाहिए वह यह है कि आपके अपने गांव या इलाके में मध्याह्न भोजन की क्या स्थिति है। यह छानबीन या तो अनौपचारिक रूप से की जा सकती है (जैसे आप स्थानीय स्कूल में जा सकते हैं या बच्चों से सवाल कर सकते हैं), या फिर औपचारिक सर्वेक्षणों द्वारा भी की जा सकती है (नीचे देखें) दोनों ही प्रकार की जांच-पड़ताल के समय आपको कुछ मुद्दों को बारीकी से देखना होगा:

- क्या मध्याह्न भोजन नियमित रूप से दिया जा रहा है?
- बच्चों को दिया जा रहा मध्याह्न भोजन कितना पौष्टिक है? क्या भोजन की पौष्टिकता को बढ़ाने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों तथा 'रचनात्मकता' को काम में लेने की पर्याप्त कोशिश की जा रही है? (उदाहरण के लिए स्कूल परिसर में या आसपास सब्जियाँ लगाना।)
- क्या भेदभाव की कोई घटना घटी, जैसे दलित व्यक्ति को खाने पकाने या सहायक के पद से हटाना, या अलग-अलग जाति के बच्चों को अलग बैठा कर खाना परोसना?
- क्या शिक्षकों, माता-पिता, रसोइया, सहायक या बच्चों की मध्याह्न भोजन के बारे में कोई शिकायतें हैं? जैसे, क्या कभी भोजन विषाक्त होने की घटना घटी है?
- क्या रसोइये या सहायक को कोई ऐसी परेशानी हुई है जिस पर ध्यान देना जरूरी हो?

- क्या मध्याह्न भोजन की व्यवस्था ऐसी है कि उससे कक्षाएं नहीं गड़बड़ातीं?
- क्या आवश्यक ढांचे मौजूद हैं? रसोई का अलग शेड, भण्डार घर, बर्तन-भांडे व साफ पानी उपलब्ध हैं?
- क्या सुरक्षा और साफ-सफाई की आवश्यक सावधानियाँ बरती जाती हैं?
- मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाने में भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है? ये मुख्य मुद्दों के कुछ उदाहरण हैं, स्थानीय स्थितियों के अनुसार आप सवालों की इस सूची को बढ़ा सकते हैं।

शिकायत कैसे करें

मान लें कि आपके क्षेत्र में मध्याह्न भोजन को लेकर कुछ अनियमितताएं हैं। उदाहरण के लिए, किसी एक स्कूल में यह योजना बंद हो गई है, या वहां जो दलित व्यक्ति रसोइए के पद पर था उसे गांव के सवर्ण नेताओं ने हटा दिया है, तो इसी की शिकायत कहां और कैसे की जाएगी?

स्थानीय स्तर से शुरुआत करना ही सबसे अच्छा होगा, और अगर वहाँ समाधान नहीं होता, तो उससे ऊपर के स्तर पर अपील करनी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर समस्या किसी एक स्कूल की है, तो स्वभाविक होगा कि आप शिक्षकों, अभिभावक शिक्षक संघ या ग्राम पंचायत में बात करें। अगर हम रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं तो अक्सर यह सम्भव होता है कि समस्या स्थानीय स्तर पर ही सुलझाई जा सके।

अगर यह कोशिश नाकाम होती है, तो यह पता लगाएं कि आपके इलाके में कौन सा 'विभाग' मध्याह्न भोजन के लिए जिम्मेदार है। सरकारी भाषा में इसे 'नोडल विभाग' कहते हैं। कुछ राज्यों में शिक्षा विभाग को इस योजना के लिए नोडल विभाग बनाया गया है, तो कुछ अन्य राज्यों में किसी अन्य विभाग को जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग (उड़िसा में), या पंचायती राज विभाग (राजस्थान में), या मध्याह्न भोजन विभाग (तमिलनाडु में)। तब यह मुद्दा उस विभाग के संबंधित अधिकारियों के सामने उठाया जा सकता है, जैसे अगर शिक्षा विभाग जिम्मेदार हो तो आप खण्ड शिक्षा अधिकारी (बी.ई.ओ.) के पास जा सकते हैं।

किसी खास मुद्दे पर जनता का ध्यान आकर्षित कर स्थानीय अधिकारियों पर दबाव बनाने में कई बार "जन सुनवाई" बड़ी कारगर सिद्ध होती है। अगर अधिकारी फिर भी नहीं चेतते तो कई तरह के संघर्षों पर सोचा जा सकता है, जैसे रैली, धरना, घेरावा।

अगर सरकारी रास्तों से शिकायत पर कोई गौर न किया जाए तो आप सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्तों के 'सलाहकार' को भी शिकायत पहुंचा सकते हैं। प्रत्येक राज्य का अपना अलग सलाहकार है (अधिक जानकारी के लिए परिशिष्ट को देखें)। ये सलाहकार अक्सर ऐसे मामले राज्य सरकार के सामने उठाते हैं और उसे हस्तक्षेप करने के लिए समझाते हैं।

अगर स्थानीय प्रशासन बिल्कुल उदासीन हो तो किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने का इच्छुक न हो, तो शिकायत सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्त को भी भेजी जा सकती है। पहले भी आयुक्तों का हस्तक्षेप अक्सर (पर हमेशा नहीं) कारगर सिद्ध हुआ है। यह

इसलिए, क्योंकि आयुक्तों को अंतरिम आदेशों के क्रियान्वयन पर नजर रखने के वास्ते सर्वोच्च न्यायालय की सभी शक्तियाँ दी गई हैं। परन्तु ऐसा बिल्कुल अंतिम उपाय के रूप में ही किया जाना चाहिए, जब सभी स्थानीय उपाय असफल हो गए हों। साथ ही इन अपीलों के साथ पूरे दस्तावेज भी नथी होने चाहिए ताकि आयुक्त संबंधित अफसरों से ठोस व निश्चित कदम उठाने की मांग कर सकें। इस मामले में सामान्यतः संबंधित अधिकारी राज्य सरकार के मुख्य सचिव होते हैं।

सामुदायिक कार्रवाई

जैसा पहले भी कहा जा चुका है, मध्याह्न भोजन जैसी योजनाओं की एक आम समस्या है "सामुदायिक भागीदारी" का अभाव। सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं:

- मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता के बारे में बच्चों से नियमित पूछताछ करना : खाना कितना पौष्टिक है, क्या वह बच्चों को अच्छा लगता है, खाने के बाद कोई बीमार तो नहीं हुआ, इत्यादि।
- अभिभावक-शिक्षक संघ की बैठकों में शिरकत करना, और अगर आपको कोई अनियमितताएं नजर आई हों तो उसकी सूचना देना।
- यह आग्रह करना कि ग्राम शिक्षा समिति मध्याह्न भोजन की नियमित निगहबानी करे।
- ग्राम पंचायत या ग्राम सभा में मध्याह्न भोजन से संबंधित मुद्दे उठाना तथा जांच के लिए बही-खाते दिखाने की मांग करना।
- खाने-पीने की सामग्री की आवक व्यवस्था पर तथा खर्च पर नजर

रखना।

- अगर वित्त दुरुपयोग की घटना हो तो भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की मांग करना।
- मध्याह्न भोजन बेहतर बनाने के लिए बर्तन-भांडे इकट्ठा करना, आवश्यक ढांचों को सुधारना, किन्हीं खास अवसरों पर विशेष भोजन खिलाना आदि के प्रयास किए जा सकते हैं। इसका एक उपाय है समय-समय पर चंदा इकट्ठा करना।
- यह सुनिश्चित करना कि भोजन पकाने वालों व उनके सहायकों की नियुक्ति न्यायोचित और पारदर्शी तरीके से की जाए और इन पदों पर दलित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही अगर आवश्यकता पड़े तो दलितों को इस पर पर स्वीकारने में समुदाय में सहमति बनाने का काम भी किया जाए।
- खाना पकाने वालों और उनके सहायकों की क्षमताएं बढ़ाने में मदद की जाए ताकि वे सुरक्षित, पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन खिला सकें।
- मध्याह्न भोजन के क्रियान्वयन और देखरेख में महिला मण्डल और स्वयं सहायता समूहों को जोड़ उनकी भागीदारी पाने की कोशिश करना।
- सभी संबंधित लोगों—शिक्षकों, बच्चों के माता-पिता, गाँव के नेताओं—मुखियाओं और ज़रूरत पड़े तो स्थानीय अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की जानकारी देना।

बॉक्स - 7

आन्ध्र प्रदेश में मध्याह्न भोजन के लिए सामुदायिक कार्रवाई

मध्याह्न भोजन के लिए यहाँ पर सामुदायिक लामबंदी की दिशा में कई रचनात्मक दम उठाए गए। पिछले 14 वर्षों से आंध्र प्रदेश के एम.वी. फाउन्डेशन ने गाँव के समुदायों के साथ सार्वभौमिक शिक्षा और बाल मजदूरी के खात्मे के लिए कार्य किया। कई गाँवों में बाल अधिकार सुरक्षा फोरम की स्थानीय समितियाँ बनाई गईं और पुरानी समितियों (जैसे ग्राम पंचायत, स्कूल शिक्षा समिति) को सक्रिय किया गया। जब मध्याह्न भोजन शुरू हुआ तब इन समितियों ने इस योजना के क्रियान्वयन की कोशिश की। इन समितियों ने बड़ी उदारता से अपना योगदान दिया। उदाहरण के लिए कोंडाकल गाँव (ज़िला रंगारेड्डी) में ग्राम पंचायत ने गिलास और प्लेट दान किए और ज़िला चितूर में स्कूल शिक्षा समिति ने रसोई के शेड के इंतजाम के लिए चंदा इकट्ठा किया। मध्याह्न भोजन योजना अनुसूचित जाति महिला संघों द्वारा संचालित की जाती है। शुरू में इस कार्यक्रम को काफी विरोध का सामना करना पड़ा जैसे उच्च जाति के छात्रों ने दलित महिला द्वारा बनाए गए भोजन का बहिष्कार किया। ऐसी घटनाओं में अभिभावक, शिक्षकों और स्कूल शिक्षा समिति के बीच बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें उन्हें मध्याह्न भोजन के महत्व के बारे में बताया गया। इस तरह की बैठकों का यह असर हुआ कि ज्यादातर स्कूलों में छात्रों ने एक साथ बैठकर खाना शुरू किया।

उदाहरण के लिए गाँव अम्बटपल्ली (ज़िला मेहबूब नगर) में कई उच्च जाति के बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि वहाँ दलित रसोइयों की नियुक्ति थी। इस पर बच्चों को वापस स्कूल भेजने के लिए बाल अधिकार सुरक्षा फोरम ने अभिभावकों के साथ सभा की। लेकिन अभिभावकों के मना करने पर बाल अधिकार

सुरक्षा फोरम ने तय किया कि इस समस्या को सुलझाने में और समय की ज़रूरत है। घर-घर जाकर अभिभावकों के साथ बात की गई और बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करने का अभियान चलाया गया। कुछ ने बच्चों को स्कूल भेजने की रजामंदी दी और दूसरे बच्चों के साथ खाना खाने की इजाजत दी। तब गांव में एक सभा आयोजित की गई जिसमें मंडल शिक्षा अधिकारी और अन्य उच्च अधिकारियों को भी बुलाया गया। इसके बाद बहुत से बच्चे वापस स्कूल आ गए। और सभी जाति के बच्चों ने दलित रसोइयों के हाथ का बना भोजन खाना आरम्भ कर दिया।

ज्यादातर गाँव में जहाँ पर इस तरह की लामबंदी हुई वहाँ मध्याह्न भोजन नियमित हुआ और जातिगत तनाव को सुलझाया जा सका। पर भोजन की अच्छी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष जारी है। कुछ गाँवों में अब तक भी बच्चों को सिर्फ दाल चावल ही मिलता है। पर जिन गाँवों में, जहाँ ज्यादा दबाव है और समिति की निगरानी है, वहाँ अंडे, फल, सब्जियाँ भी दी जाती हैं।

सहयोग – दीपा सिन्हा

पैरवी तथा मीडिया

कई ऐसी समस्याएं होती हैं जिन्हें स्थानीय स्तर पर सुलझाना कठिन होता है। तब ज़रूरत पड़ती है ऊपर के स्तर पर नीतियों को बदलने की। उदाहरण के लिए अगर मध्याह्न भोजन के लिए बजट में किए गए प्रावधान बहुत ही कम हों (मान लें कि यह प्रावधान प्रस्तावित न्यूनतम मानक 'दो रुपये प्रति बालक, प्रति दिन' से भी कम हो) तो स्थानीय प्रधानाध्यापक या खण्ड शिक्षा अधिकारी भी इस विषय में कोई कारवाई नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बजट आवंटन तो राज्य

सरकार करती हैं। सरकारी नीतियों में बदलाव के लिए व्यवस्थित रूप से "पैरवी" की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए विधायकों पर दबाव डालना पड़ता है, उन्हें अपने पक्ष में करना होता है। लामबन्दी के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखने पड़ते हैं, राज्य की राजधानी में रैलियाँ निकालनी होती हैं, अखबारों में लेख-पत्र आदि लिखने पड़ते हैं। इस संदर्भ में आप जो मांगें उठा सकते हैं वह हैं :

- राज्य सरकार भोजन पकाने के मद पर कम से कम दो रुपये प्रति बालक प्रति दिन, मुहैया करवाए।
- सभी प्राथमिक शालाओं में खाना पकाने का अलक से शेड हो व अन्य माकूल ढांचों की व्यवस्था की जाए।
- राज्य सरकार मध्याह्न भोजन के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करें और उनको व्यापक प्रचार-प्रसार करें।
- मध्याह्न भोजन छुट्टियों के दौरान भी उपलब्ध करवाया जाए, सम्भव हो तो सभी स्थानों पर, नहीं तो कम से कम उन इलाकों में जो सूखा पीड़ित हों।
- मध्याह्न भोजन योजना में "पूरक सूक्ष्म पोषण" का हिस्सा भी जोड़ा जाए। उदाहरण के लिए, जिन बच्चों को ज़रूरत हो उन्हें विटामिन ए और लौह तत्व की गोलियाँ दी जाएं।
- जो बच्चे स्कूली व्यवस्था से बाहर हैं, उन पर भी विशेष ध्यान दिया जाए, खासकर बाल श्रमिकों तथा सड़क पर रहने वाले बच्चों पर।

अगर आप पैरवी का काम कर रहे हैं तो मीडिया को न भूलें। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का सबसे प्रभावी माध्यम हैं दैनिक अखबार तथा टी.वी. के साक्षात्कार। राजनीतिक व आला

सरकारी अफसर भी मीडिया की आलोचना की फिक्र करते हैं, सो उन्हें सचेत रखने के लिए इनका उपयोग करना अच्छा उपाय है। फिर भी ध्यान रहे कि मध्याह्न भोजन जैसे सामाजिक मुद्दे की ओर मुख्यधारा के अखबारों या टी.वी. चैनलों को आकर्षित करना हमेशा आसान नहीं होता। खुद लेख-पत्र लिखने, दोस्ताना पत्रकारों के साथ रिश्ते बनाने, चौकाने वाले तथ्यों को जांचने-तलाशने और प्रभावी प्रेस कान्फ्रेंस आयोजित करने में समय लगाना पड़ता है। पर यह सब सीखने का सबसे अच्छा उपाय भी 'करते हुए सीखने' का है। फिर भी जिन लोगों को मीडिया का अनुभव है उनकी सलाह भी लेनी चाहिए। मीडिया का प्रभावी उपयोग कठिन जरूरी है पर एक प्रभावी अस्त्र भी है।

शोध

मुद्दे पर कुछ ठोस करने का एक और प्रभावी उपकरण है शोध। अगर आपके पास ठोस तथ्य हैं तो संबंधित अधिकारियों के लिए आपकी मांग को अनदेखा करना अधिक ठिन होगा।

मीडिया संबंधी काम की ही तरह शोध का काम भी कठिन है और किए बिना यह सीखा भी नहीं जा सकता है। पहले भी बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में मध्याह्न भोजन पर सर्वेक्षण व अध्ययन किए गए थे। इन सर्वेक्षणों और अध्ययनों से भी काफी कुछ सीखा जा सकता है। इनमें से कई अध्ययन रोजी-रोटी अधिकार अभियान की वेबसाइट (www.righttofoodindia.org) पर उपलब्ध है। यहाँ आपको सर्वेक्षण प्रश्नावलियाँ, शोधकर्ताओं के लिए दिशा-निर्देश व संबंधित सामग्री भी मिलेगी।

बॉक्स - 8

झारखंड में मध्याह्न भोजन अभियान

पिछले कई वर्षों से देश भर के कई राज्यों में मध्याह्न भोजन को लेकर सक्रिय आंदोलन चल रहे हैं। इन आंदोलनों ने राज्य सरकारों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश (28 नवम्बर 2001) को लागू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

झारखंड के उदाहरण को ही लें। झारखंड में मध्याह्न भोजन के लिए आंदोलन की शुरुआत के 17 फरवरी 2002 को भारत ज्ञान विज्ञान समिति की 'धनबाद अपील' से हुई थी। अपील का मकसद था कि 28 नवम्बर 2001 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की ओर "ध्यान आकर्षित" करना, और 9 अप्रैल 2002 को "कार्रवाई दिवस" के रूप में मानना। 9 अप्रैल को जो कार्रवाई की गई उसमें स्थानीय समुदाय की ओर से "जन मध्याह्न भोजन" आयोजित किया गया। इस कदम को उठा कर लोग सरकार को यह जताना चाहते थे कि वे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन का इंतजार करते-करते थक चुके हैं।

कार्रवाई दिवस के पहले एक जागरूकता अभियान चलाया गया है जिसमें पोस्टरों, पर्चों, दीवार चित्रों, नुक्कड़ नाटकों का उपयोग किया गया। 9 अप्रैल 2002 को कई संगठन "कार्रवाई दिवस" की गतिविधि से जुड़े। पंचायतों, ग्राम सभाओं, शिक्षकों, आम जनता के साइडें योगदान से सैकड़ों स्कूलों में जन मध्याह्न भोजन तैयार किया गया। रांची के टाउन हॉल में लगभग 2500 बच्चे इकट्ठा हुए और उन्होंने भी प्राथमिक शालाओं में मध्याह्न भोजन शुरू करने की मांग की।

दूसरा आंदोलन 11 जुलाई 2002 को सामने आया जब सैकड़ों बच्चों ने रांची में मुख्यमंत्री निवास के सामने मार्च किया। बच्चों ने धारा 144 को नजरअंदाज कर सुरक्षा गार्डों की नजरों से बचते हुए मुख्यमंत्री निवास में घुसकर उन्हें अर्जी दी। मुख्यमंत्री ने

उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुना और मामले पर गौर करने का आश्वासन भी दिया।

पर बाद में झारखंड सरकार ने अपने पैर वापस खींचे और बहाना बना कर मध्याह्न भोजन योजना को स्थगित कर दिया। नवम्बर 2003 को दूसरा आंदोलन प्रारम्भ हुआ जिसमें हस्ताक्षर अभियान, एक बार फिर से जनता की ओर से भोजन का आयोजन, एक बाल संसद का आयोजन और सचिवालय के बाहर धरना की गतिविधियाँ की गईं।

इस आंदोलन का यह असर हुआ कि दिसंबर 2003 का झारखंड सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना को आखिरकार सरकारी प्राथमिक स्कूलों में चालू कर ही दिया। प्रारम्भिक चरण में काफी दिक्कतें आईं, जिसमें व्यवस्थाओं का अभाव, भोजन का विषाक्त होना, और कुछ ऊंची जाति के लोगों के द्वारा विरोध के मामले सामने आए। फिर भी समय के साथ-साथ मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और इसके फैलाव में प्रगति हुई है।

2004 में ग्राम स्वराज अभियान द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चलता कि ज्यादातर सेम्पल स्कूलों में अब मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है। अभिभावकों द्वारा भोजन की गुणवत्ता साधारणतः अच्छी बताई गई और उपस्थिति में भी बढ़त दर्ज हुई। खासतौर से लड़कियों और विपन्न बच्चों की संख्या में सुधार आया। एक को छोड़कर सभी शिक्षकों ने मध्याह्न भोजन योजना को जारी रखने की इच्छा जताई।

हम मिल-जुल कर काम करें

प्राथमिक शालाओं में पौष्टिक मध्याह्न भोजन को सार्वभौमिक बनाने का अभियान एक व्यापक “जन आंदोलन” का रूप लेने लगा है। देश भर की कई संस्थाएं और व्यक्ति इस मुद्दे को अपनी-अपनी

तरह से उठा रहे हैं। बेहतर है कि आप यह भी जानने की कोशिश करें कि आपके क्षेत्र या राज्य में इस पर कौन-कौन काम कर रहे हैं ताकि आप भी समान विचारधारी लोगों से जुड़ सकें। राज्य सरकार के समक्ष सफल पैरवी के लिए भी मिल-जुल कर काम करना बेहद जरूरी है।

आप अपनी तलाश “रोजी-रोटी अधिकार अभियान” से प्रारम्भ कर सकते हैं जो भारत में भोजन के अधिकार को मूर्त रूप देने के लिए कटिबद्ध व्यक्तियों व संगठनों का एक अनौपचारिक नेटवर्क है। अभियान से संपर्क कैसे करें इसकी जानकारी पुस्तक के परिशिष्ट में दी गई है।

अंतिम, पर बेहद महत्वपूर्ण बात : अगर आपको इस ‘प्रवेशिका’ से मध्याह्न भोजन के मुद्दे को समझने में मदद मिली है, तो इसका प्रचार करने में हमारी मदद करें। ऐसा आप नीचे दिए गए तरीकों से कर सकते हैं :

- अपने गांव या संगठन में प्रवेशिका पर सामूहिक चर्चा आयोजित करें।
- अगर आपकी स्थानीय भाषा उपलब्ध न हो, तो इसके अनुवाद की व्यवस्था करें।
- प्रवेशिका के कुछ भागों का उपयोग कर पोस्टर या पर्चे बनवाएं। उदाहरण के लिए बॉक्स 3 में सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश दिए गए हैं, उन्हें पोस्टर के रूप में स्थानीय स्कूल, पंचायत भवन, आदि पर लगाएं।
- अपने इलाके में प्रवेशिका की प्रतियां बेचने में हमारी मदद करें। आप अधिक प्रतियों के लिए परिशिष्ट में दिए गए पते पर संपर्क कर सकते हैं।

कृपया याद रखें कि प्रवेशिका के विषय में आपके विचारों और

सुझावों में हमारी रुचि है।

मध्याह्न भोजन को सार्वभौमिक बनाने का अभियान केवल बाल अधि कारों की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है। यह हमें तमाम मुद्दों पर संगठित होने, उत्प्रेरित करने और हस्तक्षेप करने का अवसर भी देता है। ये मुद्दे हैं : लिंग आधारित असमानता, जातिगत भेदभाव, भ्रष्टाचार, सरकार की जवाबदेही, लोकतांत्रिक भागीदारी आदि। कानूनी कार्रवाई द्वारा आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की मांग करने का यह एक महत्वपूर्ण उदाहरण भी है। अंतिम पर महत्वपूर्ण बात यह है कि संगठित कार्रवाई कितना बदलाव ला सकती है।

परिशिष्ट : अन्य सन्दर्भ

अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा हो तो शायद आप “रोजी-रोटी अधिकार अभियान” की वेबसाइट www.righttofoodindia.org को देखना चाहें। इस वेबसाइट पर मध्याह्न भोजन तथा “रोजी-रोटी अधिकार अभियान” के अन्य पक्षों पर काफी सामग्री मिलेगी।

- सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का समूचा पाठ।
- विभिन्न राज्यों से मध्याह्न भोजन की स्थिति संबंधी सूचना।
- मध्याह्न भोजन के संबंध में केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का सार-संक्षेप।
- इस प्रवेशिका की ‘सॉफ्ट कॉपी’।
- मध्याह्न भोजन के विषय में एक विस्तृत हैण्डबुक जो प्रशिक्षण कार्यशालाओं के लिए खासतौर से उपयोगी होगी।
- मध्याह्न भोजन के जमीनी सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए दिशा-निर्देश जिसमें तैयार प्रश्नावलियां भी हैं।

• मध्याह्न भोजन से संबंधित लेख व रिपोर्टें।

• संबंधित वेबसाइटों के लिंक।

अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा न हो, तो आप प्रवेशिका के लिए आयुक्तों से या रोजी-रोटी अधिकार अभियान के सचिवालय से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता नीचे दिया गया है।

नोट : प्रत्येक राज्य में आयुक्तों के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। आप आयुक्तों के कार्यालय से उनके नाम व पते ले सकते हैं। अगर आपको अपने क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन होता दिखाई दे, और अगर स्थानीय अधिकारी समस्या का समाधान न कर पाएं, तो कृपया आयुक्तों से या आपके राज्य में उनके द्वारा नियुक्त सलाहकार से सम्पर्क करें।

कुछ उपयोगी पते

सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्तों का कार्यालय, C/o सेंटर फॉर इक्विटी स्टीडस, बी-102, सर्वोदय इन्कलेव, नई दिल्ली- 110017

फोन - फैक्स 011-26851335: 26851339,

ईमेल : commissioners@vsnl.net

अधिक जानकारी के लिए वेब साइट : www.righttofoodindia.org

देखें व righttofood@gmail.com पर ईमेल लिखें या रोजी-रोटी अधिकार अभियान के सचिवालय को पत्र लिखें। हमारा पता है:

रोजी-रोटी अधिकार अभियान, सचिवालय,
5-ए, जंगी हाउस, शाहपुर जट, (खेल गांव के पास)

नई दिल्ली-110014

फोन - 011-2649 9563

ईमेल-righttofood@gmail.com

हरेक बच्चा जो प्राथमिक शाला में पढ़ने जाता है उसे पका हुआ, पौष्टिक, मध्याह्न भोजन पाने का हक है। भोजन और शिक्षा के अधिकार की ओर यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इस किताब में हरेक भारतीय बच्चे के बुनियादी हकों की जानकारी शामिल है जिसकी सूचना हर सरोकार रखने वाले नागरिक के पास होनी चाहिए।